

झारखण्ड गजट (असाधारण), शनिवार 14 मई, 2011

प्रपत्र-2

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय, जमशेदपुर

[जिला का नाम]

पूर्व सिंहभूम ।

तारीख 08/09/2015

क्रमांक 01

विषय

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रावधान के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

संबन्धित / मसौदा

आपके द्वारा दिनांक 17.05.2012 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ संपर्कित करने पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं R.M.S. High School, Khutadih, Sonari, Jamshepur (विद्यालय का नाम पत्रे सहित) को शैक्षणिक सत्र 2015-16 से कक्षा I से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH


RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है

Shukla
Principal

[Signature]
Manager

1. इस मान्यता में विन्ती भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संकेतन करने के लिए कक्षा बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णतया पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आय-पत्रों के कमजोर एवं अभिवर्धित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उनके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करवाएगा।
उक्त कडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 18 उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रविष्टित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता खोलना



5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सक्षम नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित विन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा:
 - i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक देड़ नहीं दिया जाएगा,
 - iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी,
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में प्रमाण-पत्र पदान किया जाएगा,
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा,
 - vi. अध्यापकों की भती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार नगरीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएँ अर्जित कर लेंगे,
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे; और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सनियामों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुधियाँ निम्नानुसार हैं --

- i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- ii. कुल निर्मित क्षेत्र
- iii. कोडा-स्थल का क्षेत्रफल
- iv. कक्षाओं की संख्या
- v. प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष
- vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय


RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH



Manager



RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH



Principal





- vii. पेयजल सुविधा
- viii. मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)
- ix. बाधारहित पहुंच
- x. अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूल उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्याक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य ध्येयता के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और प्रत्येक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन का सुनिश्चय करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक उद्योग द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 01 है। कृपया इसे नोट कर ले और अपने कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।



RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

Shukla
Principal

Manager

Shukla
9/9/11
जिला शिक्षा अधीक्षक।

Shukla

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 313--150+600 ।